प्रेषक,

अरिन्दम भट्टाचार्य,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 26 सितम्बर, 2016

विषयः- एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ द्वारा लिये गये ऋण की शासकीय प्रत्याभूति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्टेट बैंक आफ इण्डिया के पत्र संख्या- COMM/AMT-1/15-16/323 दिनांक 21.12.2015, पत्र दिनांक 22.07.2016, तथा निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0 के पत्र संख्या-पी0जी0आई0/डीआईआर/डीसी/9921/2016, दिनांक 11.05.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ में विभिन्न चिकित्सकीय सुविधाओं की स्थापना हेतु व्यय वित्त समिति की बैठक दिनांक 02.06.2016 में रू0 570.32 करोड़ की लागत के जो कार्य अनुमोदित किये गये है उनके वित्त पोषण हेतु स्टेट बैंक आफ इण्डिया से रू0 473.00 करोड़ के सावधिक ऋण प्राप्त किये जाने हेतु एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों के अधीन शासकीय प्रत्याभूति प्रदान की जाती है:-

1. ऋण वापसी के संबंध में निदेशक, संस्थान द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बैंक द्वारा निर्धारित त्रैमासिक भुगतान शेड्यूल का अनुपालन करते हुए संस्थान के अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताओं में किसी प्रकार की चूक न हो।
2. एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा ऋण की अदायगी निर्धारित री-पेमेन्ट शेड्यूल के अनुसार नियमित रूप से की जायेगी।
3. एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा वर्षानुवर्ष अवशेष गारंटी की राशि पर 01 प्रतिशत वार्षिक की दर से गांरटी शुल्क का भुगतान राज्य सरकार को किया जायेगा।
4. एस0जी0पी0जी0आई0 लखनऊ द्वारा राज्य सरकार के पक्ष में काउन्टर गारंटी निष्पादित की जायेगी।

2- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) विभाग के अशासकीय संख्या-बी-4/141/दस-2016, दिनांक 31 अगस्त, 2016 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अरिन्दम भट्टाचार्य)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या- 116/2016/3530(1)/71-2-16-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2. कोषाधिकारी, लखनऊ ।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
5. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2
6. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0नि0नि0लि0, लखनऊ।
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नीलेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।